

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उ० प्र० जल निगम, सहारनपुर।

हुसैन मलकपुर ग्रामीण पेयजल योजना
(मल्टी सैकटोरल ड्वलपमेंट प्रोग्राम)

हस्तान्तरण प्रपत्र

1. योजना के कार्यों का विवरण—

मल्टी सैकटोरल ड्वलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत विकास खण्ड सदौली कदीम की ग्राम पंचायत हुसैन मलकपुर ग्रामीण पेयजल योजना का निर्माण वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ किया गया। योजना में अवर जलाशय, 150 किली. / 14 मी. स्टेजिंग, 1 नग नलकूप, 1 नग पम्प हाउस, वितरण प्रणाली 07.48 किमी., स्टाफ क्वार्टर, राइजिंग मेन एवं बाउण्ड्री वाल के कार्य प्रस्तावित थे। योजना के सभी कार्य पूर्ण कर योजना माह मार्च 2020 में जनोपयोगी कर दी गयी है।

इस योजना द्वारा ग्राम पंचायत जगत में शुद्ध पेयजल आपूर्ति विगत 9 माह से सुचारू रूप से की जा रही है। वर्तमान में योजना पूर्ण रूप से जनोपयोगी है।

क्रं सं०	कार्य का विवरण	मात्रा
(अ)– सिविल कार्य—		
1.	अवर जलाशय (150 किली. 14 मी० स्टेजिंग)	1 नग
2.	पम्पहाउस कम क्लोरोनोम	1 नग
3.	राइजिंग मेन डी.आई.के-7 150 एम.एम. व्यास	28.00 मी.
4.	वितरण प्रणाली— पी०वी०सी० 90 एमएम व्यास पी०वी०सी० 110 एमएम व्यास पी०वी०सी० 140 एमएम व्यास पी०वी०सी० 160 एमएम व्यास	7318.00 मीटर 102.00 मीटर 42.00 मीटर 18.00 मीटर
		योग— 7480.00 मीटर
5.	स्लूस बाल्व 150 एमएम व्यास 90 एमएम व्यास 100 एमएम व्यास	2 नग 4 नग 1 नग
6.	बाउण्ड्री वाल 120.00 मीटर	

ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज

1 नग

8. हाउस कनैक्शन

270 नग

(ब) पानी के रिसाव को दूर करने, जलकल की आय को बढ़ाने एवं पानी की शुद्धता बनाये रखने हेतु
आवश्यक सुझाव-

1. निजी संयोजन केवल मीटर संयोजन के द्वारा ही दिये जायें।
2. योजना पर पानी इकट्ठा करने की क्षमता पर्याप्त हैं, इसीलिए पेयजल आपूर्ति निश्चित समयानुसार की जानी चाहिये जिससे कि स्टैण्ड पोस्ट से पानी की बर्बादी रोकी जा सके।
3. जल नलिकायें, वाल्व फिटिंग्स, फायरहाइड्रेन्ट्स की निश्चित अवधि के अन्दर जांच की जानी चाहिये तथा अगर उनमें कोई कमी है तो तुरन्त ठीक कर देना चाहिये।
4. सार्वजनिक जल स्तम्भ जहां तक संभव हो उनको कम ही रखा जाये क्योंकि पानी की बर्बादी का मुख्य स्रोत जल स्तम्भ ही होते हैं। जल स्तम्भों को टॉटी युक्त ही रखा जाये।
5. पानी का शुल्क समय समय पर पुनरीक्षित करते रहना चाहिये जिससे कि व्यय के अनुपात में आय की बढ़ोत्तरी हो जाये। व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से पानी की दरें अधिक ली जायें तथा उनके संयोजन बिना मीटर के न किये जायें।
6. समय समय पर स्कावर वाल्व के द्वारा पाइप लाइन की सफाई कराते रहना चाहिए।
7. एयर वाल्व कार्यशील रखें जायें।
8. उचित व नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाना चाहिये तथा इसकी मात्रा 0.20 पीपीएम होनी चाहिये।
9. निजी संयोजन केवल रजिस्टर्ड प्लाम्बर द्वारा ही कराये जायें।
10. समस्त संयोजन 15 एमएम साइज के जी.आई. पाइप के माध्यम से फैरल द्वारा ही दिये जायें।
11. कोई भी अतिरिक्त जल नलिकायें सीवर/ताल में न डाली जायें।
12. पम्पों को न ज्यादा वोल्टेज तथा न कम वोल्टेज पर चलाया जाये। इनका संचालन न्यूनतम 370 वोल्टेज के दरम्यान किया जाये। ऐसा न करने पर पम्पों को हानि पहुंच सकती है। संचालन के समय बोल्ट मीटर व एम्पियर मीटर की रीडिंग को लोग बुक में प्रविष्टी अवश्य की जाये।

(स)– रखरखाव हेतु कार्यक्रम-

- सामान्य—वितरण प्रणाली एवं अन्य पाइपों के रख रखाव में इस बात का ध्यान रखा जाना नितांत आवश्यक है कि पानी का दुरुपयोग किसी भी प्रकार न हो। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाये कि पानी कहां से व्यर्थ हो रहा है तथा उसको किस प्रकार रोका जाये तथा भविष्य में इसकी उत्पत्ति न हों। समय समय पर पाइप लाइनों की सफाई का भी ध्यान रखना नितांत आवश्यक है।
 - व्यर्थ पानी की मात्रा का ज्ञान करना— पानी के व्यर्थ होने में मुख्य रूप से निम्न कारण हो सकते हैं—अबर जलाशय में लीकेज होना, पाइप फट जाना, ज्वाइंट ठीक प्रकार न होना, फैरूल का जोड ठीक न होना, वाल्वस में ग्लेण्ड एवं वाशर इत्यादि का कट जाना। बिना मीटर के संयोजन पर पानी की टॉटियों के हमेशा खुली होने के कारण पानी का दुरुपयोग सम्भव है। पाइपों में लीकेज होने पर तुरन्त ठीक कराना चाहिये।
 - जलाशय की सफाई इत्यादि का कार्य प्रत्येक 6 महीने बाद एक बार अवश्य कर लेना चाहिये। सफाई उस समय की जाये, जब जलापूर्ति में व्यवधान उत्पन्न न हो इसके लिये जलाशय के नजदीक जो वाईपास प्रबन्ध है उसके द्वारा पेयजल आपूर्ति निरन्तर की जानी चाहिये।
 - निजी संयोजन देने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार स्वीकृत करा लेना चाहिये। संयोजन देने से पूर्व पानी की गुणता की जांच की जाये एवं पानी का दबाव विभिन्न स्थानों पर जांच लेना चाहिये। आय व्यय का लेखा ठीक प्रकार से रखा जाये।

सारांश- उपरोक्त समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये अगर जल सम्पूर्ति योजना का रख रखाव ठीक प्रकार से नियमों का अनुपालन, निजी संयोजन केवल फैलूल द्वारा एवं वाटर मीटर लगाकर प्रदान करना आय को समय से एकत्रित करना, किसी भी लीकेज को तुरन्त ठीक करना इत्यादि नियमित किये जायें तो योजना पूर्ण रूप से लाभकारी होगी। किसी भी तकनीकि राय के लिये ०.०५ प्र० जल निगम की सेवायें उपलब्ध ही रहेंगी।

हस्तगतकर्ता

हस्तानान्तरण कर्ता

VB

(वेदपाल)

परियोजना अभियन्ता

पारंपरा ॥

गाइ, उठोप्र० जल अण्णा,

सहारनपुर ।

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत, हुसैनग्राम सरकारी अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
विधान सभा संसदीय समिति (सहारनपुर)
ग्राम पंचायत सुवेणनन्दनपुर
विधान सभा संसदीय समिति (सहारनपुर)